भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 118

उत्तर देने की तारीख: 18.07.2022

शैक्षणिक संस्थानों का पुनर्निर्माण

†118. एडवोकेट डीन कुरियाकोस:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में प्राकृतिक आपदाओं में क्षतिग्रस्त हुए शैक्षणिक संस्थानों का पुनर्निर्माण/संरक्षण करने का कोई विचार है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार को केरल सरकार से राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) निधि के घटक संख्या पांच का उपयोग करके सरकारी महाविद्यालय, मुन्नार के पुनर्निर्माण हेतु वित्तीय सहायताS का अनुरोध करने वाला कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;
(घ) यदि हां, तो तत्तसंबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ड़) सरकार द्वारा इस पर क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुभाष सरकार)

(क) और (ख): गृह मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पंद्रहवें वित्त आयोग ने वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के लिए राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन कोष (एनडीआरएमएफ) और राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष (एसडीआरएमएफ) के निर्माण की सिफारिश की है। तदनुसार, वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एनडीआरएफ) और राज्य आपदा राहत कोष (एसडीआरएफ) के तहत रिकवरी और पुनर्निर्माण के वित्तपोषण विंडो के लिए क्रमशः 20,539 करोड़ रुपये और 48,046 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। क्षति और हानि के आकलन के आधार पर संबंधित राज्य सरकारों द्वारा रिकवरी और पुनर्निर्माण हेतु सहायता निर्धारित करने की आवश्यकता है।

(ग) से (ङ): रूसा के परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) ने दिनांक 01.12.2015 को आयोजित अपनी 9वीं बैठक में 'मौजूदा डिग्री कॉलेज का मॉडल डिग्री कॉलेज में उन्नयन' घटक के तहत 'सरकारी कॉलेज मुन्नार' के लिए राज्य के हिस्से सहित 4.00 करोड़ रुपये की सहायता को मंजूरी दी थी। 2.40 करोड़ रुपये के स्वीकृत केंद्रीय हिस्से में से, 1.2 करोड़ रुपये दिनांक 22.02.2018 को पहली किस्त के रूप में मंत्रालय द्वारा राज्य को जारी किए गए थे। बाद में, राज्य के इस अनुरोध के आधार पर कि 2018 में बाढ़ के कारण कॉलेज का महत्वपूर्ण हिस्सा बह गया, दिनांक 09.09.2019 को आयोजित पीएबी की 16 वीं बैठक में, पीएबी ने स्वीकृत निधि का उपयोग कर कॉलेज के पुनर्निर्माण के लिए मंजूरी दी थी और योजना के मौजूदा मानदंडों में ढील दी थी ताकि कॉलेज के पुनर्निर्माण के लिए इस राशि का यथा आवश्यक उपयोग किया जा सके। ।

*****